परिशिष्ट-एक

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला बालाघाट

क्रमांक / पेंशन / 2016 / 94 बालाघाट दिनांक 6-1-16

प्रति,

जिला पेंशन अधिकारी
जिला बालाघाट

विषय :- पेंशन पुनरीक्षण प्रकरण प्रस्तुत करने विषयक ।
सन्दर्भ :- इस कार्यालय का पत्र क्रमांक / पेंशन / 2014 / 7418 बालाघाट दिनांक 11 / 12 / 2014

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत जनपद कालीन सेवा को पेंशन गणना में जोड़ा जाकर पेंशन पुनरीक्षण हेतु डब्ल्यू0पी0 क्रमांक 404 / 2012 द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09 / 01 / 2012 म0प्र0 शासन विरूद्ध श्री चुन्नीलाल देशमुख, सेवा निवृत्त शिक्षक का पेंशन प्रकरण जनपद कालीन सेवा अवधि को पेंशन गणना में जोड़ते हुए पेंशन पुनरीक्षण हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया जा रहा है । कर्मचारी की मूल सेवा पुस्तिका कार्यालय में एवं जिला कोषालय में उपलब्ध नहीं होने के कारण पूर्व जारी पेंशन पी0पी0ओ0 एवं गणना शीट के आधार पर तथा पेंशन संचालनालय द्वारा न्यायालयीन प्रकरणों में सेवा पुस्तिका उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में जारी दिशा निर्देश अनुसार पुनरीक्षित पेंशन पी0पी0ओ0 जारी करने का कष्ट करें ।

सहपत्र :- उपरोक्तानुसार

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-बालाघाट

पृ0क्रमांक / पेंशन / 2016 / बालाघाट दिनांक

प्रतिलिपिः-

1- कलेक्टर महोदय, जिला बालाघाट की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

2- श्री चुन्नीलाल देशमुख, ग्राम पोस्ट - झालीवाड़ा, तह0 वारासिवनी, जिला बालाघाट की ओर सूचनार्थ ।

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-बालाघाट

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग (शाखा-1),
मंत्रालय, भोपाल

परिशिष्ट -2

...न्द्र निर्मल
विधायक
मध्यप्रदेश विधान सभा
म.प्र. ... आयुन विभाग सदस्य
विधान सभा शासकीय आश्वासनो संबंधी समिति सदस्य

कार्यालय वार्ड नं. 15 वारासिवनी
जिला बालाघाट (म.प्र.) 48133
कार्यालय 07633-26343
दूरभाष-निवास/फैक्स 07633-26343
मो. नं. 9752576654

क्र. – MLA/0382/2016

प्रति

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला बालाघाट म.प्र.

विषय– लंबित प्रकरण की जांच करने विषयक।

---00---

विषयांकित लेख हैं, कि श्री सी.एल.देशमुख ग्राम झालीवाड़ा तह. वारासिवनी जिला बालाघाट के द्वारा दिया गया माननीय उच्च न्यायालय का फैसला आपकी ओर मूलतः संलग्न प्रेषित है। उक्त प्रकरण पर उचित कार्यवाही कर अवगत कराने का कष्ट करे।

संलग्न– उपरोक्तानुसार

भवदीय

(डॉ.योगेन्द्र निर्मल)
विधायक
क्षेत्र क्रं. 112, वारासिवनी–खैरलांजी
जिला बालाघाट म.प्र.

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी
क्र. 8042
दि. 24.11.16
बालाघाट म.प्र.

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग (शाखा-1),
मंत्रालय, भोपाल

(12)

लोक शिक्षण संचालनालय ,मध्यप्रदेश
गौतम नगर, भोपाल – 462021
दूरभाष 0755–2583650, फैक्स 0755–2583651
ई–मेल est3-dpi@mp.gov.in

क.स्था–3 / एफ / पेंशन / 3 / 2017 / 438 भोपाल, दिनांक 21/3/17

प्रति,
जिला पेंशन अधिकारी
जिला–बालाघाट,म0प्र0

विषय–जनपदसभा मे की गई सेवा को पेंशन गणना मे मान्य करने बाबत।
संदर्भ–जिला शिक्षा अधिकारी बालाघाट का पत्र कं0 7419,दिनांक 11 / 12 / 14

विषयांकित प्रकरण मे संदर्भित पत्र का अवलोकन करना चाहे। श्री शिवनंदन शुक्ला एवं श्री चुन्नीलाल देशमुख के प्रकरण में जनपद कालीन सेवा को पेंशन गणना मे जोड़कर पेंशन पुनरीक्षण हेतु म0प्र0शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश दिनांक 6 अगस्त 2012 के आदेश कं0एफ–50 / 2011 / बीस–4 द्वारा निर्णय लिया गया है कि म0प्र0शासन अंतर्गत जनपदकालीन / नगरपालिका मे दिनांक 1 / 10 / 63 से कार्यरत तथा संविलियन होने के पूर्व तत्कालीन जनपदकालीन / नगरपालिका अंतर्गत विद्यालयों के शिक्षकोंकी पूर्व सेवायें पेंशन योग्य अर्हकारी सेवा मे उनके शासनाधीन ली जाने वाली शासकीय सेवा में मान्य की जावे।

अतः माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर मे श्री शिवनंदन शुक्ला एवं श्री चुन्नीलाल तथा अन्य मे दायर याचिका कं0 404 में पारित निर्णय दिनांक 19 / 1 / 2012 के पालन मे शासन के उपरोक्त निर्देशानुसार जनपदकालीन सेवा जोडने की नियमानुसार कार्यवाही करते हुये कृत कार्यवाही से संचालनालय को अवगत करावे।

संचालक
लोक शिक्षण,म0प्र0
भोपाल, दिनांक 21/3/17

क.स्था–3 / एफ / पेंशन / 3 / 2017 / 439
प्रतिलिपि–
1–कलेक्टर जिला बालाघाट,म0प्र0
2–जिला शिक्षा अधिकारी बालाघाट के पत्र कं0विधि / 2017, दिनांक 15 / 3 / 17 के संदर्भ मे सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव / अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग (आरक्षण-1),
मंत्रालय, भोपाल

संचालक
लोक शिक्षण,म0प्र0